विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः सं.वि.सं. 08/भर्ती/A.P. &S.D. (Med. Edu.)/EP-I/2019–20 **दिनांक : 17.01.2020**

आयोग द्वारा **चिकित्सा शिक्षा विभाग** के लिए **राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम, 1962 के अन्तर्गत** सहायक आचार्य (Assistant Professor) व वरिष्ठ प्रदर्शक (Senior Demonstrator) के विभिन्न विशिष्टताओं के पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) एवं वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

Post S.No.	Name of Subject	No. of Post(s)	Gen.				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.	E.W.S.	Horizontal Resevation	
			सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता			P.H. (One leg lower limb)	Ex-service man
ASSISTANT PROFESSOR (Broad Speciality)																						
1	Anaesthesiology	17	7	1	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-
2	Biochemistry	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Biophysics	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	Community Medicine	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	Dermatology, Venereology and Leprosy	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	General Medicine	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	General Surgery	16	6	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	1	1	-
8	Microbiology	8	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
9	Nuclear Medicine	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10	Obstetrics & Gynaecology	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Ophthalmology	6	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12	Orthopaedics	6	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
13	Pharmacology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
14	Physical Medicine and Rehabilitation	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
15	Psychiatry	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16	Radiodiagnosis	37	12	3	1	-	6	1	-	-	4	-	-	-	5	1	-	-	1	3	2	1
17	Radiological Physics	6	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
18	Radiotherapy	8	5	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19	Tuberculosis and Respiratory Medicine/ Pulmonary Medicine	9	6	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ASSISTANT PROFESSOR (Super Speciality)																						
20	Cardiology	4	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21	Cardio Vascular & Thoracic Surgery	8	4	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
22	Endocrinology	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	Medical Gastroenterology	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	Medical Oncology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
25	Neonatology	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26	Nephrology	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
27	Neurology	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
28	Neuro Surgery	8	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-
29	paediatric Surgery	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30	Plastic & Reconstructive Surgery	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
31	Surgical Oncology	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Total	**176**	**86**	**9**	**1**	**-**	**25**	**1**	**-**	**-**	**24**	**-**	**-**	**-**	**23**	**1**	**-**	**-**	**1**	**5**	**32**	**1**
	Senior Demonstrator																					
32	Anatomy	4	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
33	Biochemistry	14	5	1	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
34	Bio-Physics	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35	Community Medicine	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
36	Dentistry	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
37	Forensic Medicine	10	6	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
38	Microbiology	17	7	1	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
39	Pathology	28	10	2	-	-	6	1	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	1
40	Pharmacology	6	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
41	Physiology	7	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Total	**93**	**41**	**5**	**-**	**-**	**22**	**1**	**-**	**-**	**13**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**1**	**4**	**10**	**1**

Abbreviations Used : Gen. – General, S.C. – Scheduled Castes, S.T.- Scheduled Tribes, O.B.C. – Other Backward Classes, M.B.C.- More Backward Classes, E.W.S. – Economically Weaker Sections

नोट :–

1. सहायक आचार्य/वरिष्ठ प्रदर्शक – एनाटोमी, फिजियोलोजी, फार्माकोलोजी व माईक्रोबायोलोजी के पदों में मेडिको/नॉन मेडिको पर्सन्स का अनुपात 70:30 प्रतिशत है। उक्त पदों पर पहले न्यूनतम 70 प्रतिशत मेडिको पर्सन्स के चयनोपरान्त शेष पदों पर मेडिको/नॉन मेडिको पर्सन्स का चयन मेरिट के आधार पर किया जा सकता है।
2. सहायक आचार्य/वरिष्ठ प्रदर्शक – बायोकेमिस्ट्री के पदों में मेडिको/नॉन मेडिको पर्सन्स का अनुपात 50:50 प्रतिशत है। अतः उक्त पदों पर पहले न्यूनतम 50 प्रतिशत मेडिको पर्सन्स के चयनोपरान्त शेष पदों पर मेडिको/नॉन मेडिको पर्सन्स का चयन मेरिट के आधार पर किया जा सकता है।
3. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
4. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
5. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को परवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् परवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
6. विशेष योग्यजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
7. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जायेगी।
8. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
10. अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए पृथक्–पृथक् ऑनलाईन आवेदन करें।

उपर्युक्त पदों की शैक्षणिक योग्यताएं व अनुभव निम्नानुसार रहेगा :–

पद नाम	शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव
ASSISTANT PROFESSOR (Broad Speciality)	
Anaesthesiology	M.D. (Anaesthesiology)/M.S. (Anaesthesiology) (i) Requisite recognised post graduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Biochemistry	M.D.(Biochemistry)/MBBS with M.Sc.(Med. Biochemistry)/M.Sc.(Med. Biochemistry) with Ph.D. (Med. Biochemistry)/ M.Sc. (Med. Biochemistry) with D.Sc. (Med. Biochemistry) (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Biophysics	M.D. (Bio-Physics)/M.Sc. (Bio-Physics or Medical Biochemistry) with Ph.D. (Bio-Physics)/M.D.(Physiology) or M.D. (Biochemistry) with one year training in Bio-Physics. (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Community Medicine	M.D. (Social & Preventive Medicine)/MD(Community Med.)/M.D. (Community Health Administration)/M.D. (Health Administration) (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Dermatology, Venereology and Leprosy	M.D.(Derm.&Ven.)/M.D. (Derm. Ven. & Leprosy)/M.D.(Dermatology)/ M.D. (Derm. Including Ven.)/ M.D. (Derm. including Ven./Lep) /M.D. (Medicine) with D.V.D. or D.D. (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
General Medicine	M.D. (Medicine)/M.D. (General Medicine) (i) Requisite recognised post graduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
General Surgery	M.S. (Surgery)/M.S.(General Surgery) (i) Requisite recognised post graduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Microbiology	M.D. (Bacteriology)/M.D. (Microbiology)/M.B.B.S. with M.Sc. (Med. Bacteriology)/M.Sc.(Med. Microbiology) with Ph.D. (Med. Bacteriology)/M.Sc.(Med. Bact.) with Ph.D. (Med. Bacteriology)/M.Sc. (Med. Bacteriology) with D.Sc. (Med. Bacteriology)/M.Sc. (Med. Microbiology) with Ph.D. (Med. Microbiology)/M.Sc. (Med. Microbiology) with D.Sc. (Med. Microbiology). (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Nuclear Medicine	M.D. (Nuclear Medicine)/M.D.(Radio-Therapy) with two Years experience in Nuclear Medicine in a recognized Centre/M.D.(Medicine) with DRM OR DNM/M.D. (Radio-Diagnosis) with two years experience in Nuclear Medicine in a recognized Centre/M.D.(Bio-Physics) or its equivalent qualification in Bio-Physics with DRM OR DNM or DNB in Nuclear Medicine with two years experience in Nuclear Medicine in a recognized Centre. (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Obstetrics & Gynaecology	M.D. (Obst. & Gynae.)/M.S.(Obst. & Gynae.) (i) Requisite recognised post graduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.

Ophthalmology	M.S. (Ophthalmology)/M.D. (Ophthalmology) (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Orthopaedics	M.S. (Orthopaedics) (i) Requisite recognised post graduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Pharmacology	M.D. (Pharmacology)/MBBS with Ph.D.(Med. Pharmacology)/M.Sc. (Med. Pharmacology) with Ph.D. (Med. Pharmacology)/M.Sc.(Med. Pharmacology) with D.Sc. (Med. Pharmacology) (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Physical Medicine and Rehabilitation	M.D. (P.M.R.)/M.D.(Medicine) with Diploma in PMR/M.S.(General Surgery)/M.S. (Orthopaedics) with two Years special training in the speciality of Physical Medicine and Rehabilitation (Rehabilitation Medicine) or two Years of equivalent training approved in the subject in any approved institution in India. **OR** MD/MS/Broad specialty DNB in concerned subject with three years work experience in respective specialty Unit/Department in a teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned speciality. (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Psychiatry	M.D. (Psychiatry)/M.D.(Psychological Med.)/M.D. in Medicine with Diploma in Psychological Med. (i) Requisite recognised post graduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Radiodiagnosis	M.D. (Radio-Diagnosis)/M.D.(Radiology)/M.S.(Radiology) (i) Requisite recognised post graduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Radiological Physics	M.Sc. (Physics) with diploma in Radiological Physics or M.Sc. (Medical) Physics recognized by Atomic Energy Regulatory Board. (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience as Medical Physicist/Tutor/Resident/Sr. Resident. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Radiotherapy	M.D. (Radiotherapy) (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Tuberculosis and Respiratory Medicine/ Pulmonary Medicine	M.D.(Tuberculosis)/M.D.(TB & Respiratory Dise.)/M.D.(Medicine) with T.D.D., D.T.D. or D.T.C.D./M.D. (TB & Chest Diseases) (i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognized/Permitted medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor. (iii) One year teaching exp. as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted medical college.
Senior Resident :- Senior Resident is one who is doing his/her residency in the concerned post graduate subject after obtaining PG degree/Diploma (MD/MS/DNB/Dip.) and is below 45 years of age. Note :- Provided that in disciplines where the post of Senior Resident in not prescribed in the applicable Minimum Standard Requirements for the Medical College for 50/100/150/200/250 Admissions Annually Regulations one Year experience as Tutor/Demonstrator/Resident/ Registrar after obtaining Post Graduate Degree in the concerned discipline shall be required.	
ASSISTANT PROFESSOR (Super Speciality)	
Cardiology	D.M. (Cardiology)/Super-speciality DNB in the concerned subject **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with two years Special Training in respective Super speciality department in a teaching Institution. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with three years work experience in respective Super speciality Unit/Department in teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned super-speciality. (i) Requisite recognised Specialisation qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the Cardiology in a recognized medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/ Tutor.
Cardio Vascular & Thoracic Surgery	M.Ch.(Cardio Vascular & Thoracic Surgery)/M.Ch.(Cardiac Surgery)/M.Ch.(Vascular Surgery)/M.Ch.(Thoracic Surgery)/ Super-speciality DNB in the concerned subject **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with two years Special Training in respective Super speciality department in a teaching Institution. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with three years work experience in respective Super speciality Unit/Department in teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned super-speciality. (i) Requisite recognised Specialisation qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in Cardio Vascular & Thoracic Surgery/ Cardiac Surgery/ Vascular Surgery/ Thoracic Surgery in a recognized medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
Endocrinology	D.M. (Endocrinology)/M.D. (Medicine) or M.D. (Paediatrics) with two years special training in Endocrinology/ Super-speciality DNB in the concerned subject. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with two years Special Training in respective Super speciality department in a teaching Institution. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with three years work experience in respective Super speciality Unit/Department in teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned super-speciality. (i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the Endocrinology in a recognized medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/ Tutor.

Medical Gastroenterology	D.M. (Medical Gastroenterology)/ D.M. (Gastroenterology)/ M.D. (Medicine) or M.D. (Paediatrics) with two years special traning in Gastroenterology/ Super-speciality DNB in the concerned subject. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with two years Special Training in respective Super speciality department in a teaching Institution. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with three years work experience in respective Super speciality Unit/Department in teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned super-speciality. (i) Requisite recognised Specialisation qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the Gastroenterology in a recognized medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor.
Medical Oncology	D.M.(Medical Oncology)/M.D.(Medicine) or M.D.(Radiotherapy) or M.D.(Paediatrics) with 2 Years special training in Medical Oncology/ Super-speciality DNB in the concerned subject. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with two years Special Training in respective Super speciality department in a teaching Institution. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with three years work experience in respective Super speciality Unit/Department in teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned super-speciality. (i) Requisite recognised Specialisation qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in Medical Oncology in a recognized medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor.
Neonatology	D.M. (Neonatology)/M.D.(Paediatrics) with two years special training in Neonatology/ Super-speciality DNB in the concerned subject. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with two years Special Training in respective Super speciality department in a teaching Institution. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with three years work experience in respective Super speciality Unit/Department in teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned super-speciality. (i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in Neonatology in a recognized medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/ Tutor.
Nephrology	D.M. (Nephrology)/ Super-speciality DNB in the concerned subject. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with two years Special Training in respective Super speciality department in a teaching Institution. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with three years work experience in respective Super speciality Unit/Department in teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned super-speciality. (i) Requisite recognised Specialisation qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in Nephrology in a recognized medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor.
Neurology	D.M. (Neurology)/ Super-speciality DNB in the concerned subject. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with two years Special Training in respective Super speciality department in a teaching Institution. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with three years work experience in respective Super speciality Unit/Department in teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned super-speciality. (i) Requisite recognised Specialisation qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in Neurology in a recognized medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor.
Neuro Surgery	M.Ch. (Neuro Surgery)/ Super-speciality DNB in the concerned subject. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with two years Special Training in respective Super speciality department in a teaching Institution. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with three years work experience in respective Super speciality Unit/Department in teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned super-speciality. (i) Requisite recognised Specialisation qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in Neurosurgery in a recognized medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/ Tutor.
paediatric Surgery	M.Ch. (Paediatric Surgery)/ Super-speciality DNB in the concerned subject. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with two years Special Training in respective Super speciality department in a teaching Institution. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with three years work experience in respective Super speciality Unit/Department in teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned super-speciality. (i) Requisite recognised Specialisation qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in Paediatric Surgery in a recognized medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor.
Plastic & Reconstructive Surgery	M.Ch. (Plastic & Reconstructive Surgery)/M.Ch. (Plastic Surgery)/ Super-speciality DNB in the concerned subject. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with two years Special Training in respective Super speciality department in a teaching Institution. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with three years work experience in respective Super speciality Unit/Department in teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned super-speciality. (i) Requisite recognised Specialisation qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in Plastic & Reconstructive Surgery/Plastic Surgery in a recognized medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
Surgical Oncology	M.Ch. (Surgical Oncology)/M.S.(Surgery)/Or M.S. (E.N.T.) or M.S. (Orthopaedics) or M.D. (Obst. & Gynae.) with 2 years special training in Surgical Oncology/ Super-speciality DNB in the concerned subject. **OR** MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with two years Special Training in respective Super speciality department in a teaching Institution.

JobsJaano

	OR MD/MS/Broad speciality DNB in concerned subject with three years work experience in respective Super speciality Unit/Department in teaching Institution with the following conditions :- a. Work experience is duly certified by the Head of Unit and/or Department, and endorsed by Director/Dean/Principal. b. Such faculty member must have devoted at least 2/3rd time in such super specialty during last 3 years (Teaching, Clinical and Research work duly certified by the Head of Unit and/or Department and endorsed by Director/Dean/Principal. c. Documentary proof of contribution to teaching,research, clinical services/Public health etc. in concerned super-speciality. (i) Requisite recognised Specialisation qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in Surgical Oncology in a recognized medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor.

सहायक आचार्य के उपर्युक्त पदों हेतु उनके सम्मुख अंकित योग्यता के अतिरिक्त DNB योग्यता भी मान्य होगी जिसकी समतुल्यता का निर्धारण निम्नानुसार होगा :–

Determination of equivalence of the qualification of DNB (Broad Specialities) with MD/MS & DNB (Super Specialities) with DM/M.Ch. :-

(a) Those candidates who have undergone DNB training in an institution which now runs MCI recognized postgraduate degree courses in a given subject, their DNB qualifications shall be considered at par with MCI recognized qualifications in that subject only.

(b) Those candidates who have undergone DNB training in a multi speciality teaching hospital with atleat 500 beds, involved in various postgraduate/super-speciality teaching programmes provided that the one out of three DNB supervisors (teachers) qualify as postgraduate teacher as per MCI norms in his/her previous appointment; and one out of remaining two should qualify as postgraduate teacher as per MCI regulations with the following bed requirement for teaching unit :

Postgraduate Broad Specialities 30 beds per unit
Postgraduate Super Specialities 20 beds per unit } 50% beds should be teaching beds.

Such a qualification shall be considered at par with MCI recognized qualification.

(c) Those candidates who have three years teaching experience in the subject as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor/or work experience gained during DNB training in both Broad Specialities and Super Specialities course in other locations/institutions (100 or more bedded hospitals) shall work for one additional year as a senior resident in a MCI recognized/permitted institution for equivalence with MD/MS/DM/M.Ch.

(d) Those candidates who have three years teaching experience in the subject as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor/or work experience gained during DNB training or after possessing DNB qualification, in both Broad Specialities and Super-Specialities course from an institution not covered in sub-clauses (a) to (c) shall work for two additional year as Sr. Resident/Research Associate (CSIR) in a MCI recognised/permitted medical college/institution for equivalence with MD/MS/DM/M.Ch.

Senior Demonstrator	
Anatomy	MBBS/M.Sc. (Medical Anatomy) for non medical Persons.
Biochemistry	MBBS/M.Sc. (Medical Biochemistry) for non medical Persons.
Bio-Physics	MBBS/M.Sc. (Bio-Physics or Medical Bio-Chemistry) for non medical Persons.
Community Medicine	MBBS
Dentistry	B.D.S. Preferably with M.B.B.S.
Forensic Medicine	MBBS
Microbiology	MBBS/M.Sc. (Medical Microbiology) for non medical Persons.
Pathology	MBBS
Pharmacology	MBBS/M.Sc. (Medical Pharmacology) for non medical Persons.
Physiology	MBBS/M.Sc. (Medical Physiology) for non medical Persons.

आवश्यक नोट :– अभ्यर्थी को राज्य/केन्द्र के मेडीकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। वरिष्ठ प्रदर्शक के पदों हेतु Non Medical Persons केलिए उक्त रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **साक्षात्कार से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **नोट :– साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।**
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2021 को अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से कम, सिवाय डी.एम./एम.सीएच. न्यूनतम अर्हता अपेक्षित करने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी।
पे –मैट्रिक्स	सहायक आचार्य :– पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या L-16 वरिष्ठ प्रदर्शक :– पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या L-14 **नोट :–** राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष	5 वर्ष
2.	सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) की महिला	5 वर्ष
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला	10 वर्ष
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। That the persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age limit, had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.
2	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maxmimum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
3	राजस्थान राज्य के कारोबार में substantive रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा जहां पद के लिए न्यूनतम अर्हता डी.एम./एम.सीएच. अपेक्षित है, के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। that the upper age limit mentioned above, in case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity, shall be 40 years except for post(s) requiring minimum qualification of D.M./M.Ch. for which the upper age limit shall be 45 years.
4	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। that the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in Substantive capacity shall be 40 years.
5	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। that the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
6	राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादीय मामलों में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे सकती है। that the upper age limit mentioned above may be relaxed by 5 years in exceptional cases by Government in consultation with the Commission.
7	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी।

	According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be given five years to Ex-servicemen. Provided that permissible age after relaxation work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable. स्पष्टीकरण :– कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।

नोट –

(1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त सभी पद आयोग द्वारा वर्ष 2015–16 या उससे पूर्व में विज्ञापित किये गये थे। *तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था।* अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी **दिनांक 01.01.2021** को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष की छूट** देय होगी।

(4) अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

संवीक्षा परीक्षा में प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत भारांक की गणना $\frac{\text{Marks Secured in Screening Test}}{\text{Total Marks of Screening Test}} \times 40$	अकादमिक का भारांक	साक्षात्कार का भारांक	कुल पूर्णांक
40 अंक	**20 अंक**	**40 अंक**	**100 अंक**

संवीक्षा परीक्षा का स्थान व माह

आयोग द्वारा संवीक्षा परीक्षा अजमेर/जयपुर में आयोजित किये जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा की तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।

संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम

यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** संवीक्षा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।

आवेदन अवधि

दिनांक 22–01–2020 से दिनांक 10–02–2020 रात्रि **12–00** बजे तक।

आवेदन प्रक्रिया

1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों (Instructions for Applicants), **विस्तृत विज्ञापन** एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।
2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा।
3. Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) भी कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।
4. अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट करना होगा।
5. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
6. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।
8. **आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।**
9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
10. आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन–लाईन आवेदन करें।
11. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
12. **अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंवे।**
13. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :– आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा आवेदक को उसके नाम, जन्म तिथि, विषय एवं वर्ग आदि की जानकारी एस.एम.एस. के जरिए भेजी जायेगी। एस.एम.एस. से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है :–

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर** निर्धारित शुल्क रूपये 300/– देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा–निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। **ऑनलाईन संशोधन के तहत् आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जायेगा।** आवेदक के नाम की वर्तनी संबंधी संशोधन के लिए किसी भी स्तर पर केवल ऑफलाईन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
2. विधवा/परित्यक्ता/विकलांग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त केटेगरी जोडना चाहते है, ऐसे अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा अथवा साक्षात्कार के अंतिम परिणाम घोषणा की तिथि से पूर्व तक वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा। परीक्षा के प्रत्येक चरण के मूल परिणाम (मूल परिणाम से तात्पर्य प्रथम बार जारी परिणाम से होगा ना कि अन्य किसी रिशफल परिणाम से) से पूर्व प्राप्त ऐसे प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होंगे। किसी भी स्थिति में किसी चरण के परिणाम घोषणा के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों में पूर्व घोषित परिणाम में संशोधन नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण के परिणाम में मूल केटेगरी में उत्तीर्ण हैं एवं बाद में विधवा/परित्यक्ता/विकलांग हो गए हो तो **उन्हें अगले चरण की परिणाम घोषणा की तिथि तक इस श्रेणी का लाभ देय होगा।**
3. प्रथम चरण की परीक्षा आयोजन के पश्चात् आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी नाम, परीक्षा केन्द्र, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं विषय/पद के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाईन कर सकेंगे। सभी संशोधनों हेतु शुल्क रूपये 300/– निर्धारित है।
4. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

परीक्षा शुल्कः–

(क) सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :– **रुपये 350/–**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :– **रुपये 250/–**

(ग) समस्त निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु –**रुपये 150/–**

नोट :–

1. टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील (राजस्थान) के सहरिया जनजाति हेतु भी परीक्षा शुल्क रूपये 150/– होगा।
2. **राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।**
3. किसी परीक्षा विशेष (जैसे राज्य पात्रता परीक्षा) को यदि केन्द्र सरकार के अनुसार या केन्द्रीय स्तर के संस्थान के नियमों के अनुसार आयोजित किया जाता है तो उसके लिए परीक्षा शुल्क व आरक्षण की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है जिसका अवलोकन संबंधित विज्ञापन में किया जा सकता है।
4. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे

JobsJaano

अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क होगा। **उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।**

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :–

(1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशवस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

(3) **अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**

(4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई–मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन–पत्र के Preview मे अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। **अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा।** साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन–पत्र सही–सही भर दिया होगा/जायेगा।

(5) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन–पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होनें के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन–पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा।

(6) आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(7) आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगें, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। **परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है।** आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को **विस्तृत आवेदन–पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई–प्रवेश पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।** आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

(8) ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात्/प्रत्येक चरण की परीक्षा का मूल परिणाम जारी किये जाने से पूर्व जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यकता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यकता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यकता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(9) आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण–पत्र होनें पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

(10) आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

(11) परीक्षार्थियों को ई–प्रवेश–पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

(12) परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।

(13) परीक्षा के दौरान प्रश्न–पत्र में अंकित दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न–पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन नहीं करनें के कारण किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।

(14) प्रश्न–पत्र में त्रुटि होनें अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होनें अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद–विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

(15) परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(16) यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होनें की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

(17) राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हे उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण–पत्रों का सत्यापन :–

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :–

1. जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होंने आवश्यक हैं।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित जाति प्रमाण पत्र के अभाव में ऐसा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। **पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।**
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/टी.एस.पी. प्रमाण–पत्र Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक से पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम

दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
7. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।**
8. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी यथा/जैसे– श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस.पी. श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण–पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा–निर्देशानुसार प्रमाण–पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण–पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी एवं अन्यादि के अनुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र की अन्तिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। **विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र तथा परित्यकता/तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री परीक्षा का मूल परिणाम जारी होने की दिनांक तक होना आवश्यक है।**
9. **भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान –** कोई व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गया/गई है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C.) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार (जो भी आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा–निर्देशानुसार लागू हो) में उपस्थित होने से पूर्व आयोग को सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह लोक सेवक के रूप में ही माना जाएगा अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जाएगा।
10. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
11. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्ताने पैदा होते है, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
12. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित अनुभव प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
16. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
17. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवेदन–पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन–पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :–

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व **परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधित आवेदन–पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन–पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन–पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन–पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन–पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना–पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र/पत्र–व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चुंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होनें के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन–पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :–

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई–मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन–पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता हैं, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय–समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(रेणु जयपाल)
सचिव

JobsJaano

For More Jobs Information Click on Below Link

www.jobsjaano.com